न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 5/2021

1. पूरन सिंह पुत्र केशर सिंह जाति सिख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी (मृतक)

1/1 गुरमीत सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति सिख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी भरतपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर
2. कलवन्त सिंह पुत्र बलकार सिंह जाति सिख निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रार्थी

दिनांक :– 04/08/2021

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111, 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 1842 मिन/0.07, 1843/0.41, हाल खसरा नम्बर 2411/4249/0.03, 2413/0.41 बांके ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी में स्थित है। खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 का पुराना खसरा नम्बर 1842 मिन/0.07 उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण दिशा में लगती हुई पूर्व से पश्चिम पक्की डामर सडक निकाली गई है जो कि सीकरी से डीग वाया कैथवाडा होकर निकती है। जिससे उक्त खसरा नम्बर का 0.04 हैक्टर भाग सडक में चला गया व 0.03 हैक्टर शेष रहा जिस पर प्रार्थी का पक्की चारदीवारी कर कब्जा है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त डामर सडक को खसरा नम्बर 1842 के दक्षिण भाग पूर्व से पश्चिम न दर्शाकर उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम दर्शा दिया गया है जिससे मौके की स्थिति बिलकुल विपरीत हो गई जो 0.03 हैक्टर हमारा सडक के उत्तर दिशा में शेष रहा था वह नवीन नक्शे में सडक के दक्षिण दिशा में दर्शा दिया गया है जो मौका व खिलाफ कानून है। जो कि बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

बिना रिकॉर्ड व मौके के निरीक्षण किये नवीन नक्शा जारी कर दिया इससे खसरा नम्बर 2413/0.41 हैक्टर सडक से लगता हुआ उत्तर दिशा में आ गया है जबकि खसरा नम्बर 2413/0.41 व सडक के मध्य मौके के अनुसार मेरा खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 हैक्टर है। अप्रार्थी संख्या 2 खसरा नम्बर 2406 की आड में खसरा नम्बर 2411/4249 व 2413 को सरकारी भूमि बताकर इस गलत नक्शे का लाभ उठाने की नियत से प्रार्थी की कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहा है व बेदखल करने की धमकी दे रहा है। उक्त पुराना खसरा नम्बर 1842 मिन 6 बिस्वा पर मुझ प्रार्थी व जुम्मे खाँ, खुर्शीद पिसरान कमल खाँ का एक प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) कृषि भूमि आवंटन का प्रकरण न्यायालय श्रीमान अति0 जिला कलक्टर महोदय, डीग के न्यायालय में भी चला था जिस पर मेरा कब्जा मानते हुए मेरे हक में दिनांक 22/02/1998 को उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर दिया गया था। सैटेलमेन्ट विभाग को साविक नक्शा निर्मित करने के अनुसार मुताबिक कब्जा हाल नक्शा निर्मित करना चाहिए था ऐसा ना करके कानूनी प्रावधानों के विपरीत कार्य किया है। जिसे प्रार्थी जरिये प्रार्थना पत्र सुधार करा पाने के अधिकारी है। उक्त नवीन खसरा नम्बरों के नक्शा ट्रेस दिनांक 07/01/2021 को लेने पर मुझ प्रार्थी को जानकारी में आया । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में हाल मौका व कब्जे के अनुसार मुझ प्रार्थी खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 सडक से लगता हुआ सडक के उत्तर दिशा में दर्शाया जावे व खसरा नम्बर 2413/0.41 हैक्टर को मेरे बाद में मेरे खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 हैक्टर के उत्तर दिशा में दर्शाकर संशोधित किया जावे अर्थात सडक को मेरे खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 हैक्टर के उत्तर दिशा में लगता हुआ दर्शाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 05/04/2021 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब/मौका पर्चा इस आशय का पेश किया कि ग्राम कैथवाडा प्रथम के आराजी खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 हैक्टर के मौके पर गठित टीम द्वारा मौका देखा गया मौके पर पी0डब्लू0डी0 द्वारा पुख्ता सडक बनी हुई है मुताबिक राजस्व नक्शा के सडक सही नहीं है सडक के दोनो तरफ आबादी बसी हुई है मौके पर उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा ग्राम की आबादी की तरफ खसरा नम्बर 2406 व 2407 को मेड की पुख्ता बिन्दु बताया गया । उसका फीता चलाकर मौका देखा गया खसरा नम्बर 2406, 2405 में होकर मौके पर सडक गुजर रही है। खसरा नम्बर 2406, 2405 का रकबा सडक के दोनो तरफ निकल रहा है इससे स्पष्ट है कि

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 हैक्टर , 2411/0.02 हैक्टर सडक के उत्तरी दिशा में स्थित है खसरा नम्बर 2412/0.18 गैर मुम0 सडक खसरा नम्बर 2411/4249, 2411 के उत्तरी दिशा में स्थित है जो वक्फ बोर्ड से सटा हुआ है एवं मुताबिक मौका के अनुरूप नहीं है। खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम को हाल मौका व कब्जा पैमाईश रिकॉर्ड के अनुसार डामर सडक सीकरी से डीग पर सडक के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 2404 के सामने दर्शाना व दर्शाकर संशोधित किया जाना न्यायहित में उचित है।

अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध दिनांक 05/03/2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। पुनः दिनांक 04/08/2021 को निर्णय से पूर्व तहसीलदार पहाडी से विवादित आराजी एवं सडक की मौका रिपोर्ट तलब की गई।

मुताबिक मौका रिपोर्ट ग्राम कैथवाडा प्रथम के आराजी खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 एवं खसरा नम्बर 2406/0.08 का मौका निरीक्षण किया गया मौके पर पी0डब्लू0डी0 द्वारा पक्की सडक बनी हुई है मुताबिक राजस्व नक्शा के सडक सही नहीं है सडक के दोनो तरफ आबादी बसी हुई है मौके पर उपस्थित ग्राम वासियो द्वारा ग्राम की आबादी की तरफ खसरा नम्बर 2406 व 2407 की मेड को पुख्ता बिन्दु बताया गया मेड से फीता चलाकर देखा गया मौका अनुसार खसरा नम्बर 2405, 2406 में से होकर सडक निकल रही है खसरा नम्बर 2405 व 2406 के उत्तरी दिशा में खसरा नम्बर 2411/4249/0.03 व 2411/0.02 स्थित है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र स्वयं की आराजी 2411/4249/0.03 को सड़क के उत्तरी दिशा में दर्शाने हेतु प्रस्तुत किया है। जबकि वर्तमान राजस्व नक्शा अनुसार खसरा सं0 2411/4249/0.03 को सड़क के दक्षिण में दर्शाया गया है। मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार पहाड़ी वर्तमान में मौके पर सड़क खसरा सं. 2405 एवं 2406 में से निकल रही है। एवं खसरा संख्या खसरा सं0 2411/4249/0.03 सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है। मुताबिक मौका सड़क राजस्व रिकार्ड के अनुरूप नहीं है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111,136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के आराजी खसरा सं0 2411/4249/0.03 सडक के उत्तरी ओर है। सडक मौके अनुसार प्रार्थी की आराजी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

2411/4249/0.03 के दक्षिण में आराजी खसरा सं0 2405 एवं 2406 से गुजरी है। उक्त अनुसार नक्शा में संशोधन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04/08/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).